# न्यायालय: अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ, बिरौल, दरभंगा।

जिला – दरभंगा,बिहार।

<u>K.Asthan P.S.Case No:- 29/2017</u>

G.R.No:- 107/2017

03.12.2020

अभिलेख संज्ञान के विन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के विन्दु पर सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया।

अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामला सूचक राम सुधारी पासवान के लिखित आवेदन पर पुलिस द्वारा कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या– 29/2017 दिनांक 10.02.2017 भा०दं०वि० की धारा 147, 148,149,447,341,323,307,379,504,506 के अंतर्गत अभियुक्त 1. राजेन्द्र पासवान, 2. ओपिन्दर पासवान दोनों पे० स्व० रामस्वरूप पासवान, 3. सोपिन्दर पासवान पे० स्व० रामस्वरूप पासवान, 4. देवनन्दन पासवान, 5. सदानन्द पासवान दोनों पे० राजेन्द्र पासवान, 6. गुलशन पासवान पे० ओपिन्दर पासवान एवं 7. सगरी देवी पति राजेन्द्र पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्जकर अनुसंधान प्रारम्भ किया तथा अनुसंधानोपरांत अभियुक्त 1. सगरी देवी पति राजेन्द्र पासवान को अनुप्रेषित करते हुये उनका नाम आरोपपत्र के कालम 12(i) में दर्ज किया है तथा अन्य प्राथमिकी अभियुक्त 1. राजेन्द्र पासवान, 2. ओपिन्दर पासवान दोनों पे० स्व० रामस्वरूप पासवान, 3. सोपिन्दर पासवान पे० स्व० रामस्वरूप पासवान, 4. देवनन्दन पासवान, 5. सदानन्द पासवान दोनों पे० राजेन्द्र पासवान, 6. गुलशन पासवान पे० ओपिन्दर पासवान के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 147,148,149,447,341, 323,307,325,504,506 के अंतर्गत आरोपित करते हुये आरोप–पत्र संख्या – 348/2018 दिनांक 29.09. 2018 समर्पित किया है तथा अभियुक्तों का नाम आरोप–पत्र के कालम 11(i) में दर्ज किया है।

प्राथमिकी, आरोप–पत्र, जख्म प्रतिवेदन एवं कांड दैनिकी के कंडिका 2,5,6,14,15,16,17,18,19,20, 30,31,55,56,57,58 के आधार पर आरोप–पत्र के कालम 11 (i) में वर्णित नामजद प्रथामिकी अभियुक्त 1. राजेन्द्र पासवान, 2. ओपिन्दर पासवान दोनों पे० स्व० रामस्वरूप पासवान, 3. सोपिन्दर पासवान पे० स्व० रामस्वरूप पासवान, 4. देवनन्दन पासवान, 5. सदानन्द पासवान दोनों पे० राजेन्द्र पासवान, 6. गुलशन पासवान पे० ओपिन्दर पासवान के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 147,148,149,447,341, 323,325,504,506 के अंतर्गत अपराध का प्रथमदृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है, तदनुसार नामजद प्राथमिकी अभियुक्तों 1. राजेन्द्र पासवान, 2. ओपिन्दर पासवान, 3. सोपिन्दर पासवान, 4. देवनन्दन पासवान, 5. सदानन्द पासवान, 6. गुलशन पासवान के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 147,148,149,447,341,323,325, 504,506 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि मामले को निजी पंजिका में दर्जकर अभियुक्तों की उपस्थिति के लिये समन निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 28.03.2021 को अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु नियत किया जाता है।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ,

बिरौल, दरभंगा।